

शैक्षणिक योग्यताएँ :-
 1. A bachelor's degree in Ayurved from a University established by law in India or equivalent and recognized under Indian Medicine Central Council Act, 1970

नोट:- आयोदक का राजस्थान इंडियन मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा विस्तृत आयोदन पत्र/दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीयन प्रमाण पत्र प्रसुत करना आवश्यक है।

शैक्षणिक अहंता संबंधी प्रावधान उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अहंता आयोदन करने की अन्तिम दिनांक तक अर्जित योग्यताधारी अभ्यर्थी आयोदन करने के लिए पात्र होगा। डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में दस्तावेज सत्यापन के समय आयोदन करने की अन्तिम दिनांक 10.07.2023 तक शैक्षणिक अहंता अर्जित करने का स्वृत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। अभ्यर्थी को आयोदन करने की अन्तिम दिनांक तक इन्टर्व्हिओनिंग भी पूर्ण कर लेनी आवश्यक है।

पे भैट्रिक्स आयु सीमा पे भैट्रिक्स लेवल L-14 नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवेक्षकाल में नियत मरमिक वेतन (Fix Pay) देय होगा। दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष से कम, किन्तु कमिक (क-2), विभाग की अधिसूचना कमांक एफ, 7(2)डीओपी/ए-आ०/84 पाठ दिनांक 12.06.2023 के अनुसार "जो व्यक्ति 31.12.2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31.12.2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जायेगा।"

विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अधिकार्थीयों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Most Backward Classes of Rajasthan State and EWS	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Most Backward Classes of Rajasthan State and EWS	10 वर्ष Ten Years
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Widow and divorcee Women Explanation :- In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	रिजर्विस्ट अधिकृत प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानान्तरण कर दिया गया हो, के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। The upper age limit shall be 50 years in the case of reservists, namely the Defence Service personnel who were transferred to the Reserve.	
6.	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व केंद्री के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for an appointment under these Rules.	
7.	अन्य भूतपूर्व केंद्री जो दण्डित होने से पूर्व अधिकार्य का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा छूट में होगी। In the case of other ex-prisoners, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
8.	इस सेवा (राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम-1973) के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे वे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के समक्ष आखरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। A person appointed temporarily to the post in the service (The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homeopathy and Naturopathy Service Rules, 1973) shall be deemed to be within the age-limit had when he was initially appointed even though he has crossed the age limit when he appears finally before the Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurveda University Jodhpur and shall be allowed upto two chances had he been eligible as such at the time of his initial appointment.	
9.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में, उनके हांसा राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बशर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। That the upper age limit mentioned above, shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the National Cadet Corps in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, such candidates shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
10.	नियुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से नियुक्त होने के पश्चात जब वे राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के समक्ष उपरिवर्त्त थे, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers & Short Service Commissioned Officers after release from Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before University had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
11.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिये ऊपर उल्लंघित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.	
12.	जो व्यक्ति राज्य सरकार, एन.आर.एच.एम. मुख्यमंत्री या पी.एल. जीवन रक्षा कोष के तहत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पद पर लगातार काम कर रहा है, को वह गई सेवा के बराबर अवधि में उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी जोकि अधिकतम पांच वर्ष की होगी। The upper age limit mentioned above, for the person who is continuously working as Ayurved Chikitsadhikari in Government, Chief Minister BPL Jeevan Raksha Kosh, National Rural Health Mission shall be relaxed by the period equal to the service rendered by him subject to maximum of five years.	
13.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जायेगी।	

	The upper age limit shall be relaxed by three years in the case of candidates holding post graduate Degree in Ayurved.
14.	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार गत वर्षों में इन पदों पर भर्ती नहीं किये जाने के कारण अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष शिथिलता दिये जाने का प्रावधान है। As per DOP Notification No. F.7(6) DOP/A-II/2008 Dated. 23-09-08 "If a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be deemed to be eligible in the next following recruitment, if he/she is not overage by more than 3 years." उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत चूंकि विभाग द्वारा वर्ष 2021 में भर्ती की गई है, जिसमें आयु गणना दिनांक 01.01.2022 के आधार पर गणना की गई है। अतः अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के कम में नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की शिथिलता देय होगी।
15.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सेनिकों को उपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञाय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, relaxation in upper age limit shall be five years to Ex-servicemen. Provided that if permissible age after relaxation works out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable. स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संवंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलतां अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सेनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सेनिकों को भिलेगा।

नोट -

- (1) उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा; एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर आयुसीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (2) विशेष योग्यजन को उपरी आयु सीमा में नियमानुसार देय छूट के पश्चात् अतिरिक्त छूट देय होगी।
- (3) कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 के अनुसार यदि किसी अरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
- (4) राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60। वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (5) आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक बाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होगा।

अन्य विवरण

घयन का आधार	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम-1973 (यथा संशोधित) के नियम 19 तदन्तर्गत जारी अधिसूचना कामक प.10(11) आयु./2012-13 पार्ट II दिनांक 28.05.2013 में वर्णित प्रावधानों के तहत वरीयता सूची तैयार की जायेगी। 1. जिसके अनुसार राज्य सरकार, एन.आर.एच.एम. मुख्यमंत्री वी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष के तहत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पद के समान प्रकार (Similer work) के कार्य अनुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30 प्रतिशत वेटेज बोनस अंकों के दिये जायेंगे। प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिक अवधि के कार्यानुभव के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत अंक बोनस दिये जावेंगे (365 दिवस पूर्ण होने पर ही एक वर्ष माना जावेगा। अन्य अभ्यर्थी जिनका सरकार, राज्यीय ग्रामीण स्वास्थ्य विशेष एवं मुख्यमंत्री वीपीएल. जीवन रक्षा कोष के तहत कार्यानुभव नहीं हैं को कोई बोनस अंक देय नहीं है। 2. 70 प्रतिशत वेटेज अभ्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दिया जायेगा। 3. विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम दिनांक तक की जायेगी। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।
आवेदन अवधि	दिनांक 26.06.2023 से दिनांक 10.07.2023 तक 12:00 बजे तक
आवेदन प्रक्रिया	विज्ञापन प्रकाशन के साथ ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का User Manual विभागीय वेबसाइट https://www.dsirau.info पर प्रकाशित कर दिया जायेगा। जिसके निर्देशानुसार पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र भर सकेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-

1. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में Generic Data को छोड़कर संशोधने करना चाहता है तो आवेदन की अन्तिम दिनांक के पश्चात् 03 दिवस अर्थात् 13.07.2023 तक Online संशोधन कर सकेगा। इसके प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी को ही होगा। प्रत्येक विधावा/परिवर्त्ता/विकलाग वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त केंद्रीय जोड़ना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के समय तक ऑफलाइन कुल सचिव डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर को आवेदन करके वर्ष परिवर्तन स्वीकार योग्य होगा।
2. डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑनलाइन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।


पंजीयन शुल्क:-

कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(3)कार्मिक /क.2/2023-04443 जयपुर, दिनांक 19.04.2023 के अनुसार एकवारीय पंजीयन प्रणाली लागू की गयी है। इसके लिये अभ्यर्थी को अपने SSO ID द्वारा लॉगइन करने के बाद One Time Registration Option पर जाकर जिनका नियानुसार नियारित एकवारीय पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा:-

1. सामान्य (अनरक्षित) अभ्यर्थी रु. 600/-
2. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रु. 400/-
3. दिव्यांगजन रु. 400/-

अति महत्वपूर्ण विन्दु/नोट :-

- (1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह दस्तावेज सत्यापन इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बद्ध होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (2) आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आशयस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- (3) अभ्यर्थी द्वारा नियारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इच्छारूप किये थिना अपना ऑनलाइन आवेदन करें। अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (4) आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मिट्र/अन्य किसी स्त्रीत से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/क्षेत्री, आयु (जन्म



अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी विवित को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से की वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आयेदन करता है और संविधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आयेदन किया है, के लिए आयेदन की तारीख—वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थायी/ तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। “कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय हैं।

11. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विधाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वाचनीय होगा।
12. ऐसा कोई भी अन्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आयेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आयेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तानों की वृक्ष बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आयेदक की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निश्चित हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अन्यर्थी जिसने पुनर्नियोजित किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्नियोजित से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्नियोजित से एकल प्रसव द्वारा किसी सन्तान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वाचनीय होगा। विधया एवं परित्यक्ता पर यह नियम लागू नहीं होगा।
13. विधया/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को विधया/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी डिको/दस्तावेज एवं ऑनलाईन आयेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्नियोजित नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आयेदक को अंतिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम अच्छा का उल्लेख/अधिकत होना आवश्यक होगा।
15. आयेदक को घयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आयेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक घारा का उत्तरेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में वादा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
16. आयेदक को घयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकित्सा जाँच सम्बन्धी विकित्सा प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आयेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
17. आयेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केंद्रीय/राज्य/सरकारी उपकरणों (एन.आर.एच.एम आदि) में नियुक्त है एवं उनका घयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

विशेष नोट:-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त रिस्ति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आयेदक/इ-मिन्ट्र/अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आयेदन—पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अन्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आयेदन—पत्र में आवश्यक वाचित संशीधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण प्राप्ति नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आयेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आयेदन—पत्र डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना—पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अन्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

सूचना :- समय—समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट <https://www.dsrrau.info> पर कर सकते हैं। इसके अंतिमिति किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के परिसर में रिस्ति स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 0291-2795356 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचय, डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, नागार रोड, करवड, जोधपुर-342037 को सम्बोधित किया जाए।

शासन उप सचिव
आयुष विभाग राजस्थान
जयपुर

कार्यालय.....

क्रमांकः—

दिनांक

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.....पुत्र / पति / पुत्री
श्री.....निवास.....की नियुक्ति.....के आदेश क्रमांक.....
.....दिनांक.....के द्वारा.....के पद पर संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अरथाई
आधार पर.....योजना में की गयी थी, जो इस पद पर दिनांक.....से दिनांक..... तक
कार्यरत है /रहा है/रही है। इनकी उक्त पद पर कुल कार्य अवधि..... वर्षमाह..... हैं।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय स्टाम्प.....

1. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, प्राचार्य मेडिकल/डेन्टल कॉलेज/अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूह/पीएमओ/सीएमएचओ/उपनिदेशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला निदेशक एनएचएम निदेशक आर.आरसी. का सक्षम अधिकारी को उनके अधीन कार्य करने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी माना जावेगा। यदि विभाग द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के सत्यापन के पश्चात ही बोनस अंक/आयु में शिथिलता नियमानुसार दी जावेगी एवं विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

नोटः— अनुभव अवधि की गणना इन पदों की इस भर्ती हेतु ऑनलाईन आवदेन करने की अन्तिम तिथि तक की जावेगी।